न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 11/2018 तारीख रजू :– 27.02.2018

पीठासीन अधिकारी – सुरेश कुमार यादव

R.A.S.

हरि मीना पुत्र श्री बटोईराम मीना जाति मीना हालवासी चौबेजी का बंध बयाना रोड हिण्डौन सिटी जिला करौली ------------------------------ प्रार्थी

बनाम

1.	भरोसी(फौत)	पिसरान परभाती जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौन सिटी जिला करौली
2.	हुकम	
3.	गुमान	
4.	तेजसिंह	
5.	गुलाबदेवी पत्नि मदनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी स्टेशन रोड हिण्डौन	
6.	महेश	पिसरान श्यामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी चौबे पाडा हिण्डौन सिटी जिला करौली
7.	गोपाल	
8.	जितेन्द्र	
9.	राजेन्द्र	
10.	मोहन	
11.	बीरेन्द्र	
12.	निरी पत्नि भैरोसिंह	जाति गुर्जर निवासी तेसगांव तहसील नादौती जिला करौली
13.	कमलेश पत्नि बिजेन्द्रसिंह	
14.	सुनीता पत्नि वीरेन्द्रसिंह	
15.	अनीता पत्नि राजेन्द्रसिंह	---------------- अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थर गढी आदि</u>

उपस्थित :– 1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट प्रार्थी
2. श्री एच.एस. [illegible] एडवोकेट अप्रार्थीगण 1 ता 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.15 16:55:41 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक :– 15.01.2021

प्रकरण के तथ्य [illegible] हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट खिलाफ अप्रार्थीगण पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1271 रकबा 0.44 है0, 1274

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

रकबा 0.80 है0 स्थित चौबे का बंध कस्बा हिण्डौन में प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजीयात वर्णित मद नं01 प्रार्थना पत्र के बतरफ उत्तर खसरा नम्बर 1275,1276,1279 स्थित है, जिनकी खातेदारी अप्रार्थी सं0 6 लगायत 11 के नाम दर्ज रिकार्ड है, बतरफ दक्षिण खसरा नम्बर 1269 व 1272 अप्रार्थी सं0 5 व 12 लगायत 15 की खातेदारी के हैं, तरफ पूर्व खसरा नम्बर 1273 अप्रार्थी सं05 व बतरफ पश्चिम खसरा नम्बर 1270 अप्रार्थी सं0 10 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जिनकी सीमायें एवं डौल मेंढ को लेकर आये दिन प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपसी मनमुटाव व अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। इसलिए आराजीयात की पैमाईश करवाते हुए पत्थरगढी कराया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 21.02.2018 को प्रार्थी अपने खेतों पर सार संभाल बाबत् गये हुए थे कि अप्रार्थीगण एक राय होकर आये एवं कहने लगे कि तुम्हारे खेतों में हमारा रकबा दबा हुआ है इसलिए हम जे0सी0बी0 से इस डौल को तुम्हारे खेतों में खिसका कर अपना रकबा निकाल कर रहेंगे। जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण आपसी सहमति से अपनी अपनी जमीनों की पैमाईश करवा लेते हैं, लेकिन अप्रार्थीगण ऐसा करने को तैयार नहीं है इसलिए मौके की पैमाईश करवाकर पत्थरगढी कराया जाना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1271 रकबा 0.44 है0, 1274 रकबा 0.80 है0 स्थित चौबे का बंध कस्बा हिण्डौन की पैमाईश कर पत्थरगढी के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 16.03.2018 को अप्रार्थी सं01 लगायत 4 की ओर से श्री एच.एस. गुर्जर एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिशल है। किन्तु अप्रार्थीगण को कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाव पेश नहीं किया गया इसलिए दिनांक 04.01.2021 को जबाव बन्द करने के आदेश दिये गये तथा वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.15 16:55:41 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071 से 74 किता 6 एवं नकल नक्शा ट्रेस पेश की हैं।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1271 रकबा 0.44 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन की खातेदारी हरी मीना पुत्र बटोईराम मीना जाति मीना निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर 1274 रकबा 0.80 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन की खातेदारी हरी मीना पुत्र बटोईराम मीना जाति मीना निवासी हुक्मी का पुरा मण्डावरा के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर 1275 रकबा 1.12 है0, 1276 रकबा 0.23 है0, 1279 रकबा 0.75 है0 कस्बा हिण्डौन की खातेदारी महेश चन्द, गोपाललाल जितेन्द्र कुमार राजेन्द्र कुमार मोहनलाल वीरेन्द्र कुमार पि0 श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 1269 रकबा 0.20 है0 कस्बा हिण्डौन की खातेदारी श्रीमती निरी पत्नि भैरोसिंह श्रीमती कमलेश पत्नि विजेन्द्रसिंह, सुनीता पत्नि वीरेन्द्रसिंह, अनीता पत्नि राजेन्द्रसिंह हिस्सा बराबर जाति गूजर निवासी तेसगांव के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 1272 रकबा 0.08 है0, 1273 रकबा 0.20 है0 कस्बा हिण्डौन की खातेदारी श्रीमती गुलाबदेवी धर्मपत्नि मदनलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 930 रकबा 0.25 है0, 1270 रकबा 0.30 है0, 1273/9981 रकबा 0.25 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन की खातेदारी गिर्राज पुत्र किशनलाल जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1271 रकबा 0.44 है0, 1274 रकबा 0.80 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है, जिसका प्रार्थी नियमानुसार पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहता है। जिसका प्रार्थी को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। [illegible] के मध्य डौल मेढ को लेकर आपस में विवाद की स्थिति आगे और नहीं बढे तथा आम शान्ति कायम रहे इसलिए प्रार्थी की खातेदारी की उक्त भूमि की नियमानुसार पैमाईश करते हुए पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.15 16:55:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट खिलाफ अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1271 रकबा 0.44 है0, 1274 रकबा 0.80 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन की नियमानुसार पैमाईश करते हुए पत्थरगढी करवाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 15.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.01.2021
सुरेश कुमार यादव
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.15 16:55:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner